-1-

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2016 रिवी - 9176 - I - 16

1. सुरेश बावू पुत्र स्व. श्री श्यामनारायण, उम्र -49 वर्ष, व्यवसाय- सेवानिवृत/खेती

2. नरेश बावू पुत्र स्व. श्री श्यामनारायण, आयु-55 वर्ष, व्यवसाय- खेती, निवासीगण- पुरानी बस्ती किले के पीछे, भिण्ड म.प्र.

श्री पल्लव त्रिपाठी, अभि. द्वारा आज दि. 21-9-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21/9/16 राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

....आवेदकगण

बनाम

मृत बटेश्वर दयाल मिश्रा पुत्र स्व. श्री छोटेलाल, निवासी- वनखण्डेश्वर रोड, भिण्ड म.प्र. द्वारा वारिसान-

ए. राजेन्द्र मिश्रा पुत्र स्व. श्री बटेश्वर दयाल मिश्रा,

बी. अरविन्द मिश्रा स्व. श्री बटेश्वर दयाल मिश्रा,

सी. दिलीप मिश्रा पुत्र स्व. श्री बटेश्वर दयाल मिश्रा

डी. धीरज मिश्रा पुत्र स्व. श्री बटेश्वर दयाल मिश्रा

ई. शशी मिश्रा पुत्री स्व श्री बटेश्वर दयाल मिश्रा

एफ. सुमन मिश्रा पुत्र स्व. श्री बटेश्वर दयाल मिश्रा

जी. मीना मिश्रा पुत्र स्व. श्री बटेश्वर दयाल मिश्रा

 रेस्ट. 9176-5/16(नि.य)

निवासी–वनखण्डेश्वर रोड, भिण्ड म.प्र.

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) सहपठित धारा 32 म.प्र.भू–राजस्व संहिता वास्ते प्रकरण क्रमांक 679–1/2016 पुर्नअवलोकन याचिका को पुनः नम्बर पर लिये जाने बावत।

सम्माननीय न्यायालय,

याचिकाकर्तागण की ओर से आवेदन पत्र सादर निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, याचिकाकर्तागण द्वारा वर्तमान याचिका आदेश दिनांक 07.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, और उक्त याचिका प्रस्तुती उपरांत प्रकरण क्रमांक 679–1/2016 पुर्नअवलोकन याचिका के रूप में पंजीबद्ध की गई थी।

2. यहकि, यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में रेस्पोडेंट क्र. 1 बटेश्वर दयाल मिश्रा द्वारा निगरानी याचिका क्रमांक 552–3/2003 में माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2003 को चुनौती दी गई थी। उक्त रिवीजन याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के तर्क श्रवण किये जाने के उपरांत प्रकरण को दिनांक 07.05.2015 को निराकृत करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों अपर आयुक्त एवं न्यायालय अपर कलेक्टर के आदेशों को निरस्त करते हुये प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनः सुनवाई किये जाने हेतु प्रत्यावर्ती किया गया था।

3. यहकि, उक्त आदेश दिनांक 07.05.2015 के विरूद्ध उक्त रिवीजन याचिका के रेस्पोर्डेट अर्थात याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान पुर्नअवलोकन आवेदन पत्र क्रमांक 679–1/2016 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.02.2016 को प्रस्तुत किया गया था, और उक्त के उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष पंजीयन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. रि.मु. 9176ई/16 जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.1.17	आवेदक अधि. श्री पल्लव त्रिपाठी उपस्थित। उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। विचारोपरांत रेस्टोरेशन आवेदन स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण रिव्यु 6793/16 पुन: सुनवाई हेतु पुर्नस्थापित किया जाता है। कॉस्ट राशि Rs 500/- रसीद क्रमांक 5893 दिनांक 26.12.16 द्वारा जमा की गई। यह प्रकरण समाप्त हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.